झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
अष्टम् (बजट) सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 20 फाल्गुन, 1943 (श0) को 11 मार्च, 2022 (ई0)

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
435– रा–	07	श्री विनोद कुमार सिंह	स्वामित्व योजना को लागू करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.2022
436– रा–	43	श्री रणधीर कुमार सिंह	नियुक्ति रद्द करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	01.03.2022
437– स–	38	श्री कमलेश कुमार सिंह	भवन का उपयोग।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	01.03.2022
438– स–	44	श्री रणधीर कुमार सिंह	लागू करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	04.03.2022
439– रा–	23	सुश्री अम्बा प्रसाद	मुआवजा में बढ़ोतरी।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.2022
440– रा–	24	श्री प्रदीप यादव	जाँच कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.2022
441– स–	06	श्री बंधु तिर्की	नर्सों की नियुक्ति।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.2022
442– श्रनि–	10	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	ईलाज की सुविधा।	श्रम नियोजन प्रशि0 एवं कौशल विकास	04.03.2022

01.	02.	03.	04.	05.	06
443– स–	40	श्री मनीष जायसवाल	मूल–भूत सुविधाओं की व्यवस्था।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	03.03.2022
444– रा–	46	श्री दीपक विरूवा	प्रतिस्थापित करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	03.03.2022
445 रा–	52	श्री नवीन जायसवाल	जमीन का सीमांकन।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	03.03.2022
446– स–	36	श्रीमती सीता सोरेन	कार्रवाई करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.02.2022
447– रा–	38	श्री रामदास सोरेन	स्मारक समिति को सौपना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2022
448– स–	43	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	चिकित्सा व्यवस्था सुलभ करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	03.03.20
449– स–	49	श्री नारायण दास	एम्बुलेन्स उपलब्ध करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	04.03.2022
450– श्रनि–	08	श्री सरयू राय	कार्यक्रम संचालित करना।	श्रम नियोजन प्रशि0 एवं कौशल विकास	01.03.2022
451– रा–	17	सुश्री अम्बा प्रसाद	मुआवजा प्रदान करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.2022
452– स–	46	श्रीमती सीता सोरेन	कार्यवाई करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	04.03.2022
453– स–	30	श्री ढुलू महतो	दर का निर्धारण।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.2022
454– रा–	36	श्री अमित कुमार यादव	मुआवजा देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2022
455– रा–	45	श्री अनन्त कुमार ओझा	राजस्व की प्राप्ति	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	03.03.202
*456– रा–	39	श्री किशुन कुमार दास	मुआवजा देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2022
457– रा–	50	श्रीमती नीरा यादव	उच्चस्तरीय जाँच करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	03.03.2022

(कृ0 पृ0 उ0)

* पत्रांक-162 दि0 04.03.22 द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से जल संसाधन में स्थानान्तरित।

01.		02.	03.	04.	05.	06
458—	रा—	33	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	वाहन उपलब्ध करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.2022
459—	स—	42	श्री लोबिन हेम्ब्रम	नियम का पालन।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	03.03.2022
460—	रा—	37	श्री दशरथ गागराई	अतिक्रमण मुक्त कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2022
461—	श्रनि—	07	श्री सुदेश कुमार महतो	पठन–पाठन प्रारंभ कराना।	श्रम नियोजन प्रशि0 एवं कौशल विकास	27.02.202?
462—	स—	39	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	अनुकम्पा पर नियुक्ति।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	01.03.2022
463—	रा—	35	श्री अमित कुमार यादव	मामलों का निष्पादन।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2022
464—	रा—	03	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	भवन का निर्माण।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.02.2022
465—	स—	15	श्री उमाशंकर अकेला	डॉक्टर का पदस्थापन।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.2022
466—	स—	45	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	कोश की व्यवस्था।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	04.03.2022
467—	रा—	05	श्री बंधु तिर्की	जम्माबंदी रद्द करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.2022
468—	विधि—	02	श्री उमाशंकर अकेला	पद की स्थापना।	विधि	25.02.202?
469—	स—	35	श्री रामदास सोरेन	नवीकरण करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.02.2022
470—	स—	12	श्री किशुन कुमार दास	स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्वीकृति।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.2022
471—	स—	41	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	भवन का उपयोग।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	03.03.2022
472—	रा—	30	श्री कमलेश कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.20.

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
473— रा—	01	श्री समीर कुमार मोहन्ती	हक दिलाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.02.2022
474— रा—	47	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	अधिकारियों पर कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	03.03.2022
475— रा—	40	श्री ढुलू महतो	प्रमाण—पत्र निर्गत करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27.02.2022
476— रा—	49	श्री अमित कुमार मण्डल	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	03.03.2022
477— स—	34	श्री संजीब सरदार	चिकित्सकों की पदस्थापना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.2022
478— स—	09	डॉ0 इरफान अंसारी	रेफरल अस्पताल बनाना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.2022

राँची,
दिनांक— 11 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0—झा0वि0स0 प्रश्न—06/2020—1039/वि0स0, रांची, दिनांक— 07/03/22

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

07.03.22

(महेश नारायण सिंह)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप सं0—झा0वि0स0 प्रश्न—06/2020—1039/वि0स0, रांची, दिनांक— 07/03/22

प्रतिः— आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

07.03.22

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप सं0—झा0वि0स0 प्रश्न—06/2020—1039/वि0स0, रांची, दिनांक— 07/03/22

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

07.03.22

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

सुभाष

435

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–07 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि स्वामित्व योजना के तहत् खूँटी जिला के ग्रामीण क्षेत्रो में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत सरकार की Central Scheme Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Villages Area (SVAMITVA) वर्ष 2020 से पूरे भारत में प्रारंभ की गई है। इस योजना को झारखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू किया गया है इसमें पंचायती राज्य मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग एवं सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ खूँटी जिला से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिनांक–01.11.2021 को किया गया। इस योजनांतर्गत चुना मार्किंग करते हुए ड्रोन द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का भू–सर्वेक्षण कर उनके राजस्व कागजात की जांच अंचल में उपलब्ध अभिलेख से कर रैयतों को अभिधारी खाता पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना है। **योजना के प्रमुख उद्देश्य** ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। ग्रामीण नियोजन के लिए संटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना। सर्वेक्षण की अवसंरचना और जीआईएस नक्शों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है। जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहयोग देना। संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।
2	क्या यह बात सही है कि पेशा अनुसूचित क्षेत्र के बावजूद बिना ग्राम सभा की जानकारी के सर्वे होने से ग्रामीणों में असंतोष व संशय व्याप्त है;	खूँटी जिलान्तर्गत SVAMITVA योजना का कार्य ड्रोन सर्वे के पूर्व सभी ग्रामों में प्रचार प्रसार के साथ ग्रामसभा हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में आयोजित कर आम ग्रामीणों को इस योजना की विशेषताओं से अवगत कराया जा रहा है एवं आम ग्रामीणों को इस योजना से संबंधित शंकाओं का भी समाधान किया जा रहा है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वामित्व योजना को अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को विश्वास में लेकर सहमति लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–02 / भू०अ०प०नि० वि०स० (तारां) –22 / 2022.....147/रा०नि० राँची, दिनांक–09-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–534 / वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.2022

सरकार के अवर सचिव।

(426)

श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– रा0–43 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि ग्राम प्रधान का चुनाव रैयतों के दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जाता है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–05 में दिये गये प्रावधानों के तहत् ग्राम प्रधान की नियुक्ति दो तिहाई जमाबंदी रैयत की सहमति से की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि सारठ विधान सभा क्षेत्र के करमाटांड प्रखण्ड अंतर्गत शेभाबांक गांव के प्रधान जयराम राय, पिता–स्व0 निरंजन प्रसाद राय का चयन बिना दो तिहाई बहुमत के आधार पर फर्जी तरीके से बिना ग्राम सभा का एवं जाली हस्ताक्षर से किया गया ;	**अस्वीकारात्मक।** जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा जिला राजस्व शाखा का पत्रांक–177/रा0, दिनांक–09.03.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम शोभावाँक गाँव में प्रधानी नियुक्ति वाद संख्या–24/2015–16 जयराम राय बनाम् 16/– आना रैयत मौजा शोभावाँक में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक–04.12.2021 को आदेश पारित किया गया है। ग्रामीणों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये आवेदन के आलोक में प्रधानी बर्खास्तगी वाद संस्थापित करते हुए सुनवाई प्रारंभ की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान ग्राम प्रधान की नियुक्ति को रद्द करते हुए दो तिहाई रैयतों की सहमति प्राप्त कर चयन करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सुनवाई उपरांत विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0– (तारां0)–91/2022-827/रा0, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–शून्य/वि0स0, दिनांक–00.00.00 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022
सरकार के उप सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(437)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 11.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 38 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत अनुमण्डलीय अस्पताल हुसैनाबाद के परिसर में चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रहने हेतु आवासीय भवन बनकर तैयार है,	उत्तर स्वीकारात्मक है। अनुमण्डलीय अस्पताल हुसैनाबाद के परिसर में बी0सी0डी0 टाईप क्वार्टर के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित भवनों के निर्माण हो जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर नहीं होने के कारण अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद के चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को रहने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है,	बी0सी0डी0 टाईप क्वार्टर का निर्माण पूर्ण होने के बाद कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा भवन में लगाए गए कुछ उपस्करों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। संवेदक को इसकी मरम्मती का निर्देश दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद के चिकित्सको एवं अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए निर्मित भवनो का उपयोग करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद के परिसर में बी0सी0डी0 टाईप क्वार्टर के भवन को 31.03.2022 तक हस्तगत करा दिया जाएगा, जिसके बाद आवासीय भवनों का उपयोग किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0 (ता0)– 13/2022– 240(5) स्वा0, राँची, दिनांक: 10.03.2022

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 781/वि0स0, दिनांक–01.03.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10-03-22
अवर सचिव।

(438)

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–44 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि महिलाओं के बच्चेदानी से संबंधित विभिन्न तरह के बीमारियों का समुचित उपचार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष्मान भारत योजना के तरह रिजर्व किया जाता है ;	महिलाओं के बच्चेदानी से संबंधित केवल Hysterectomy का पैकेज सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत रिजर्व किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि सभी सरकारी अस्पतालों में इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो क्या सरकार इस तरह के बीमारी को निजी चिकित्सा संस्थानों में समुचित उपचार कराने एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत इलाज हेतु इसकी स्वीकृति प्रदान करने के साथ कब तक लागु करना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों ?	इस बीमारी के उपचार हेतु राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध है एवं जिन अस्पतालों में यह सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है वहाँ रेफरल के आधार पर ईलाज योजनान्तर्गत सूचीबद्ध निजी एवं सरकारी अस्पतालों में कराया जा सकता है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि0स0 (ता0प्र0)–09–07/2022 37 (4) राँची, दिनांक–10.03.2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–946 वि0 स0 दिनांक–04.03.2022 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

10/03/22

(आनन्द कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं० : 04/वि0स0 (ता0प्र0)–09–07/2022 37 (4) राँची, दिनांक–10.03.2022

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/22

सरकार के अवर सचिव

(439)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–23 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि विस्थापित विकास संघर्ष समिति टंडवा के बैनर तले नार्थ करणपुरा एन.टी.पी.सी. परियोजना टंडवा से 3 सूत्री मांग को लेकर 6 गाँवों के विस्थापित भू–रैयत विगत 11 जनवरी 2021 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक–16.09.2021 को चतरा उपायुक्त की अध्यक्षता में विस्थापित भू–रैयत की समस्याओं के समाधान के लिए रैयत एन.टी.पी.सी. के अधिकारी समेत जिले के अधिकारियों की त्रिपक्षीय वर्ता में 3 सूत्री मांगों पर सहमति बनी तथा एन.टी.पी.सी. परियोजना टंडवा को अनुपालन हेतु उपायुक्त, चतरा द्वारा आदेशित किया गया था;	अस्वीकारात्मक। दिनांक–16.09.2021 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में NTPC प्रबंधन एवं भू–रैयतों के बीच त्रिपक्षीय बैठक में परियोजना हेतु अर्जित भूमि के मुआवजा वृद्धि के संदर्भ में केवल यह निर्णय लिया गया था कि एन.टी.पी.सी. नॉर्थ करणपुरा प्रबंधन अपने वरीय पदाधिकारी से इस संबंध में समन्वय स्थापित कर मामलों का निष्पादन करेगी। NTPC प्रबंधन द्वारा वरीय पदाधिकारी के मार्गदर्शन के पश्चात् यह स्पष्ट किया गया कि पूर्व में अधिग्रहित भूमि के मामलों में मुआवजा बढ़ोतरी की मांग को मानना नीति संगत नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि दिनांक–02.03.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया की अध्यक्षता में सम्पन्न ग्राम विकास सलाहकार समिति (VDAC) की बैठक में एन.टी.पी.सी. पकरी बरवाडीह कोल परियोजना बड़कागांव की तर्ज पर मुआवजा रू० 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख प्रति एकड़ करने को लेकर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति हेतु भेजने का निर्णय लिया गया था परंतु अब तक एन.टी.पी.सी. टंडवा द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	वस्तुस्थिति है कि अपर महाप्रबंधक (मा०सं०) नार्थ करणपुरा परियोजना एन.टी.पी.सी. लि० टंडवा द्वारा दिनांक–02.03.2016 की बैठक के पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया को सूचित किया गया कि उक्त बैठक में उपस्थित महाप्रबंधक, NTPC के द्वारा पूर्व के बैठकों के अनुसार ही मुआवजा राशि बढ़ोतरी के संबंध में असहमति जताई गई थी तथा बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया गया था। NTPC के द्वारा दिनांक–28.04.2015, 07.10.2015 एवं 03.03.2021 को आहूत सभी ग्राम विकास सलाहकार समिति की बैठकों में मुआवजा बढ़ोतरी को लेकर अपनी असमर्थता जाहीर किया गया है।

कृ०पृ०उ०

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टंडवा एन.टी.पी.सी. परियोजना से विस्थापित 06 गांव के भू–रैयतों को एन.टी.पी.सी. पकरी बरवाडीह कोल परियोजना का तर्ज पर मुआवजा बढ़ोतरी का संकल्प प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–08 ए०/भू०अ०नि० वि०स० (तारां०) –33/2022....185/रा०....राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–550/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22

सरकार के अवर सचिव।

440

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह में भू–माफियाओं ने कोर्ट के लिए चिन्हित 151 एकड़ सरकारी जमीन को खुलेआम बिक्री का बोर्ड लगाकर उच्च कीमत पर बेच डाला है ;	अस्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि इस बिक्री पर जिला प्रशासन ने मौन साध रखा है और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिली भगत से इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच ACB से कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 तथा 2 में उत्तर सन्निहित है ।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :– 5 / स0भू0 गिरिडीह(वि0स0तारां०)–45 / 2022..784..(5) / रा0 राँची, दिनांक–08-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–554 / वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.2022

सरकार के अवर सचिव

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-स-06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत चान्हो प्रखण्ड के 17 पंचायतों में 15 स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, इनमें से चार जो कि चामा, लुण्डरी, हुरहुरी और कुल्लू स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र ए0एन0एम0 के अभाव में बन्द हैं ,	अस्वीकारात्मक। सिविल सर्जन, राँची से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वास्थ्य उप केन्द्र चामा, लुण्डरी, हुरहुरी और कुल्लू में ए0एन0एम0 पदस्थापित एवं कार्यरत हैं।
2. क्या यह बात सही है कि चान्हो प्रखण्ड अस्पताल में प्रतिमाह लगभग 100 महिलाओं को प्रसव करायी जाती है, नियमानुसार लेबर रूम में छह 'ए' ग्रेड नर्सो को रहना चाहिए, लेकिन नर्सो के अभाव में महिलाओं की जान को जोखिम में डालकर ए0एन0एम0 के भरोसे प्रसव करायी जाती है ,	आंशिक स्वीकरात्मक। वर्तमान में चान्हो प्रखण्ड अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) में 'ए' ग्रेड नर्स का पद सृजित नहीं है। इस अस्पताल में महिला चिकित्सा पदाधिकारियों एवं ए0एन0एम0 के सहयोग से प्रसव कराया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वास्थ्य उपकेन्द्र को सुचारू रूप से खोलने तथा प्रखण्ड अस्पताल का संरचनात्मक निर्माण नर्सो, ए0एन0एम0 की नियुक्ति पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सिविल सर्जन, राँची से प्राप्त सूचना के अनुसार चान्हो प्रखण्ड में प्रखण्ड अस्पताल एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन की भौतिक स्थिति अच्छी है एवं अस्पताल क्रियाशील है। उक्त अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी एवं ए0एन0एम0 पदस्थापित एवं कार्यरत है। ए0एन0एम0/ए0 ग्रेड नर्स की नियुक्ति हेतु विभागीय अधिसूचना सं0-46 (21) दिनांक 18.12.2018 के द्वारा नियुक्ति नियमावली गठित है। वर्तमान में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन के उपरांत परिचारिका संवर्ग के नियुक्ति नियमावली में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। संशोधन के उपरांत नियुक्ति हेतु अधियाचना आयोग को भेजा जायेगा। अधियाचना भेजने हेतु अद्यतन रिक्त पदों के रोस्टर उपलब्ध कराने का निदेश निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक- 10/क्यु0-01-01/2022 स्वा0/ 62(10) / दिनांक- 10/3/22

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22
सरकार के उप सचिव

442

416
09/03/22

श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्रनि–10 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मैथन पॉवर लिमिटेड तथा हार्ड कोक उद्योग फायर ब्रिक्स तथा अन्य कई छोट/बड़े उद्योगों में मजदूर कार्यरत है;	उत्तर – स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि मैथन स्थित ESI अस्पताल में सभी मजदूरों को ईलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है;	उपलब्ध संसाधन के तहत मजदूरों को ईलाज की सुविधा उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निरसा विधान सभा क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों का सर्वेक्षण तथा सूचिबद्ध कराकर व ESI अस्पताल को अत्याधुनिक स्तर का निर्माण कर श्रमिकों/मजदूरों को समुचित ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	मैथन स्थित ESI अस्पताल को अत्याधुनिक एवं Multi Super Speciality Hospital में परिवर्तित करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार के उपक्रम) को हस्तानांतरित किए जाने हेतु विभागीय प्रस्ताव पर उच्चस्तर से सहमति प्राप्त किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

09/03/2022
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल.विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–26/2022श्र0नि0– 416 राँची, दिनांक–09/03/22

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का ज्ञापांक–952, दिनांक–04.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2021-22\05-26-2022 ESI.docx

443

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–40 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है, जहाँ मरीजों की मूलभूत सुविधाएँ जैसे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों दवा के साथ–साथ कई महत्वपूर्ण उपकरणों, पैथोलॉजिकल लैब तथा जेनरेटर के अभाव में मरीजों का समुचित ईलाज नहीं हो पा रही है तथा उक्त अस्पताल में सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है ;	वर्ष 2019 में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना हुई है। इस अस्पताल में मूलभूत सेवाएँ उपलब्ध है। आपातकालीन एवं सामान्य मरीजों को दवाईयाँ दी जाती है। उपकरण, पैथोलॉजिकल लैब एवं अस्पताल में जेनरेटर भी उपलब्ध है। इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सृजित पदों के विरूद्ध कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत है। 20 सुरक्षा कर्मी (होम गार्ड) भी कार्यरत है, जो नियमित रूप से तीन पालियों में कार्य करते है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (01) में वर्णित अस्पताल में संविदा तथा आउटसोर्सिंग पर 02–04 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त कर सेवाएँ ली जा रही है, जिसके कारण उक्त अस्पताल में मरीजों का ईलाज प्रभावित हो रही है ;	हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वीकृत पद के आधार पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य कर्मियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है, जो अपनी सेवाएँ नियमित रूप से दे रहे है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (01) में वर्णित अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अक्सर गंभीर मरीजों को राँची या कहीं अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण उक्त मरीजों की मौतें हो जाती है ;	इस अस्पताल में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध है परन्तु Super Speciality से संबंधित विभाग के नहीं होने के कारण इससे संबंधित बीमारियों से ग्रसित मरीजों को रेफर किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित अस्पताल में सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-04/2022 – 106(9) राँची, दिनांक– 10/3/22

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–898 दिनांक– 03-03-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.22

सरकार के अवर सचिव

(५५५)

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– रा0–46 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स०	**माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि किसी रैयत द्वारा आपसी बँटवारे के बाद अपने अंश की भूमि को उत्तराधिकारी नामान्तरण शुद्धि पत्र या जमीन की खरीद–बिक्री करने के उपरान्त अपने नाम से नामान्तरण शुद्धि पत्र निर्गत किया जाना अनिवार्य होता है ;	**स्वीकारात्मक**
2	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डलीय क्षेत्र में पूर्व में उत्तराधिकारी नामान्तरण शुद्धि पत्र/नामान्तरण शुद्धि पत्र में ली गई कार्रवाई से अवगत कराने हेतु प्रतिलिपि के रूप में हल्का कर्मचारी, गाँव के ग्रामीण मुण्डा/मानकी एवं आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित की जाती थी ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** प0 सिंहभूम को छोड़कर सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम में हल्का कर्मचारी एवं आवेदक को शुद्धि पत्र की प्रति प्रेषित की जाती थी।
3	क्या यह बात सही है कि वर्तमान ऑनलाईन द्वारा निर्गत उत्तराधिकारी नामान्तरण शुद्धि पत्र/नामान्तरण शुद्धि पत्र में अंकित प्रतिलिपि शब्द (गाँव के ग्रामीण मुण्डा/मानकी एवं आवेदक) को विलोपित कर दिया गया है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।**
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भाँति नामान्तरण शुद्धि प्रपत्र में विलोपित प्रतिलिपि के रूप में अंकित गाँव के ग्रामीण मुण्डा/मानकी एवं आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित शब्दों को पुनः प्रतिस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य प्राप्त कर विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0– (तारां0)–85/2022.823/रा0, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–899/वि0स0, दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022
सरकार के उप सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्री नवीन जायसवाल, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–52 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री नवीन जायसवाल, माननीय स0वि0स0	**माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड,राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत हटिया मौजा कल्याणपुर के खाता सं0–33 के प्लॉट सं0–439 कुल रकवा 0.71 एकड़ प्लॉट सं0–557/1 कुल रकबा 0.12 एकड़ प्लॉट सं0–558 कुल रकवा 0.14 एकड़ प्लॉट सं0–471/1 रकवा 0.15 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन वाद सं0–20/58–59 के द्वारा एच0ई0सी0 परियोजना के निर्माण हेतु किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सभी प्लॉटों के कुल रकवा 1.12 एकड़ भूमि अधिग्रहण का मुआवजा हेतु श्री नारो उरॉव को राशि 3696.56 रूपया का मात्र का भुगतान किया गया था,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खाता सं0–33 के सभी प्लॉटों का कुल रकवा 2.79 एकड़ है जिसमें 1.12 एकड़ भूमि ही अधिग्रहण कर मुआवजा का भुगतान किया गया है अर्थात वर्तमान में खतियानी रैयत के पास 1.67 एकड़ जमीन है जिसमें वे खेती कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे है,	आंशिक स्वीकारात्मक। भू–अर्जन वाद सं0–20/58–59 के द्वारा एच0ई0सी0 परियोजना के निर्माण हेतु खाता सं0–33, प्लॉट सं0–439 रकबा–0.71 एकड़, प्लॉट सं0–557/1 रकबा–0.12 एकड़, प्लॉट सं0–558 रकबा 0.14 एकड़, प्लॉट सं0–471/1 रकबा–0.15 एकड, प्लॉट सं0– 557/2 रकबा–0.20 एकड़ एवं प्लॉट सं0–468 रकबा–0.08 अर्थात कुल रकबा–1.40 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खाता सं0–33 में कुल रकबा 1.67 जमीन का सीमांकन करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	विभागीय वेबसाईट www.jharbhoomi.gov.in के माध्यम से भूमि मापी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। रैयतों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार सीमांकन कर आवेदन का निष्पादन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02बी0/भू0अ0नि0 (वि0स0) तारा0–18/2022– 188/रा0 राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–954, दिनांक–04.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22
सरकार के अवर सचिव।

F:\Naina\sec 8B\vidhan sabha *(Vikrant)*

श्रीमती सीता सोरेन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–36 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत कोविड इलाज में लगे डाक्टरों, नर्स और फ्रंट लाईन वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई थी ;	अस्वीकारात्मक। आयुष्मान योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग आयुष्मान से संबंधित कार्य में लगे चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों को दिये जाने का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि आयुष्मान योजना के तहत आवंटित राशि 5.56 करोड़ थी जिसका 25% यानी 1. 39 करोड़ रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जानी थी लेकिन यह राशि अपात्र लोगों को हॉस्पिटल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट के हस्ताक्षर से बांट दी गई है, इसका विरोध करने पर कर्मचारियों को शांत करने का प्रयास किया गया ;	अधीक्षक, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग के पत्रांक–447 दिनांक–09.03.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आयुष्मान योजना के तहत दि०–23.06.2021 तक कुल प्राप्त राशि 5,59,20,490/– (पाँच करोड़ उनसठ लाख बीस हजार चार सौ नब्बें) रूपये में से प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल 79,72,059/– (उन्नासी लाख बहत्तर हजार उनसठ) रूपये मात्र का भुगतान किया गया है तथा योग्य पात्रता रखने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पाराकर्मियों के बीच राशि का भुगतान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोविड काल में मरीजों की सेवा करने वालों की प्रोत्साहन राशि को बंदर–बांट कर घोटाला करने वालों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-02/2022 –104(3) राँची, दिनांक– 10/3/22

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 717 दिनांक– 27-02-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.22

सरकार के अवर सचिव

५५७

श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–38 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय तत्कालीन सांसद सुनील महतो की हत्या नक्सलियों द्वारा दिनांक–04 मार्च, 2004 को कर दी गई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय तत्कालीन सांसद सुनील महतो की हत्या दिनांक–04 मार्च 2007 को नक्सलियों द्वारा की गई थी।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित शहीद सांसद का स्मारक उम्त क्षेत्र वासियों की माँग पर जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में टाटा लीज की भूमि पर बनाया जा रहा था जिसे संबंधित प्रशासन द्वारा उक्त भूमि को टाटा लीज की भूमि कहकर रोक लगा दी गई जिससे उक्त क्षेत्र वासियों की संवेदना को गहरी आघात पहँची है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–09.05.2008 को श्रीमती सुमन महतो, माननीय तत्कालीन सांसद एवं झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों द्वारा कदमा गणेश पूजा मैदान के एक भाग जो टाटा लीज की भूमि है पर जबरन कब्जा कर प्रतिमा बैठाने का प्रयास किया गया था, जिससे लोक शांति भंग एवं विधि–व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न हो गयी थी। इस पर टाटा स्टील लि0 द्वारा आपत्ति की गई एवं आवेदन देकर धारा–144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। फलस्वरूप अनुण्डल पदाधिकारी, धालभूम के न्यायालय में विविध वाद सं0–909/2007 में धारा–144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया। इससे सबंधित वाद W.P.(C) No.-2539/2008 तथा W.P.(C) No.-2540/2008 में माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–14.05.2008 को निम्न आदेश पारित किया गया–"Till Further orders the status quo as on today shall be maintained by the parties"। फलस्वरूप अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन एवं लोक शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उक्त विवादित भूमि पर धारा–144 द0प्रसं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लगायी जाती रही है। वर्तमान में मामला माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में विचाराधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन–भावनाओं के दृष्टिकोण से टाटा लीज की भूमि पर शहीद सांसद स्व0 सुनील महतो की स्मारक स्थापित करने हेतु उक्त की दस फीट गुणा दस फीट भूमि को टाटा भूमि से विखंडित कर उक्त भूमि को स्मारक समिति को सौंपने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	मामला माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में विचाराधीन है। अतः अंतिम निर्णय प्राप्त होने के उपरांत सरकार के स्तर पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/वि0स0 (तारां0)– 25/2022 821 /रा0 राँची, दिनांक– 10-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–713/वि0स0, दिनांक–27.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022

सरकार के उप सचिव

(449)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–43 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	यह बात सही है कि महागमा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में अवस्थित सरकारी अस्पतालों में एकमों (ECMO) मशीन, अल्ट्रासाउण्ड एवं डायलिसिस सेंटर की व्यवस्था नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उप विकास आयुक्त, गोड्डा से प्राप्त ई०सी०जी० मशीन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महागामा को एक माह पूर्व उपलब्ध कराया गया है।
2.	यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित मशीन नहीं रहने के कारण रोगियों को बाहर जाँच एवं डायलिसिस कराना पड़ता है ;	जिला स्तर पर सदर अस्पताल, गोड्डा में पी०पी०पी० मोड पर ई०सी०जी० एवं डायलिसिस सेंटर स्थापित एवं कार्यरत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महागमा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में अवस्थित सरकारी अस्पतालों में खण्ड–01 में वर्णित मशीन उपलब्ध कराते हुए चिकित्सा व्यवस्था सुलभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड–1 में स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-28/2022–152(15) राँची, दिनांक– 09-03-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 897 दिनांक– 03-03-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.2022

सरकार के संयुक्त सचिव

(49)

श्री नारायण दास, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–49 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के देवघर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2004 में देवीपुर प्रखण्ड स्थित नामित स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड कर उसी वर्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवीपुर के नाम से मंजिला भवन का निर्माण करायी गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापना अनुमति नहीं देने के कारण सभी कार्यरत चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी की प्रतिनियुक्ति देवघर, जसीडीह या मधुपुर स्वास्थ्य केन्द्रों से की जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2013 में मात्र तीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। शेष चिकित्सा पदाधिकारियों (04 सामान्य) एवं पाराकर्मियों का पदा सृजित किया जाना है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत कुल 12 स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है, जिसमें से 07 की स्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसीडीह एवं शेष 05 की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मधुपुर से संचालित किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में देवीपुर प्रखण्ड में एम्स की स्थापना हो चुकी है, जहाँ प्रखण्ड मुख्यालय में एम्बुलेंस की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय मरीज चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित हो सके ;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के द्वारा देवीपुर प्रखण्ड में AIIMS की स्थापना की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय मरीज का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 108 एम्बुलेंस सेवा आरम्भ की गयी है। जिसके माध्यम से स्थानीय मरीजों को चिकित्सा एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित देवीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापना अनुमति सहित एम्स की महत्ता को देखते हुए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका– 3 के अनुसार सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-29/2022 – 155 (05) राँची, दिनांक– 10-03-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 950 दिनांक– 04-03-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.2022

सरकार के संयुक्त सचिव

450

417
09/03/22

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्रनि–08 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि स्किल समिट 2018 तथा ग्लोबल स्किल समिट 2019 में जिन व्यक्तियों को ऑफर लेटर दिया गया था, उनके नियोजन के जाँच हेतु श्रमायुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई है;	**उत्तर–स्वीकारात्मक है।** स्किल समिट 2018 तथा ग्लोबल स्किल समिट 2019 में जिन व्यक्तियों को ऑफर लेटर दिया गया था, उनके नियोजन की जाँच हेतु श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के आदेश संख्या – 194 दिनांक–18.02.2021 के द्वारा श्रमायुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि स्किल समिट 2018 में एक दिन में सर्वाधिक संख्या में जॉब प्लेसमेंट के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में दर्ज कराने के लिए नियोजन के जो आँकड़े सरकार द्वारा प्रेषित किये गये थें वे सही नहीं थे;	**उत्तर–अस्वीकारात्मक है।** स्किल समिट 2018 में झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों यथा – उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण पूर्व 26,674 लोगों को नौकरी हेतु प्रस्ताव पत्र (ऑफर लेटर) दिया गया था। इस संदर्भ में एक दिन में सर्वाधिक संख्या में जॉब प्लेसमेंट के लिए "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स – इंडियन रिकॉर्ड" में दर्ज किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के अंतर्गत किये जा रहे कौशल विकारा कार्यक्रम चलानेवाली संस्थायें फिलहाल कार्यरत नहीं है, जिसके कारण कौशल विकास कार्यक्रम बंद है;	**उत्तर–अस्वीकारात्मक है।** झारखण्ड राज्य के बेरोजगार युवक–युवतियों को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विहित प्रक्रिया से चयनित प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के द्वारा झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के अंतर्गत विभिन्न कौशल प्रदायी योजनाओं यथा – सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, EXCEL का संचालन किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतायेगी कि चार सदस्यीय जाँच समिति के प्रतिवेदन का निष्कर्ष क्या है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस को प्रेषित आँकड़े क्या है और कौशल विकास कार्यक्रम को पुनः संचालित करने में क्या कठिनाई है ?	कंडिका – 1 में उल्लिखित जाँच समिति का विषयांकित संदर्भ में जाँच प्रक्रियाधीन है। अन्य दोनों प्रश्न खण्डों के संदर्भ में क्रमशः उत्तर कंडिका – 2 तथा उत्तर कंडिका – 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

09/03/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–22 / 2022श्र0नि0– 417 राँची, दिनांक– 09/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–779, दिनांक–01.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

451

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03..2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–17 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि एनटीपीसी द्वारा राज्य में वृहद परियोजनाएं अधिष्ठापित की गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि एनटीपीसी कंपनी द्वारा राज्य भर में समतुल्य मुआवजा राशि निर्धारित नहीं करने के कारण विभिन्न परियोजनाओं में मुआवजा का दर भिन्न–भिन्न है, कारणवश भू–रैयतों को उचित मुआवजा प्राप्त नहीं हो पा रहा है;	वस्तुस्थिति है कि झारखण्ड राज्य में क्षेत्रवार निर्धारित भूमि दर के आधार पर अर्जित भूमि के विरूद्ध रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूरे राज्य में एक समान समतुल्य मुआवजा राशि प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए0/भू0अ0नि0, वि0स0 (तारा0)–29/2022...189/रा0 राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–544/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22

सरकार के अवर सचिव।

F:\Narendra sir\vidhan sabha 8A (Vikrant)

श्रीमती सीता सोरेन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–46 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में बिजली नहीं रहने कि स्थिति में जनरेटर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है ;	राज्य स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी अस्पतालों तथा जमशेदपुर एवं धनबाद स्थित मेडिकल कॉलेजों में जेनरेटर की व्यवस्था है। दुमका, पलामू एवं हजारीबाग में स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का भवन पूर्ण होने के पश्चात् जेनरेटर के अधिष्ठापन कार्य कर दिया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज (हजारीबाग मेडिकल कॉलेज) में प्रतिमाह 6000 लीटर डीजल की खरीदारी होती है, परन्तु बिजली जाने पर मेडिकल कॉलेज अंधेरे में रहता है ;	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग के अस्पताल में जेनरेटर की व्यवस्था है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आवश्यकतानुसार ईंधन की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त सोलर पैनल से भी बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके फलस्वरूप अस्पताल में अंधेरा नहीं रहता है। कॉलेज सेक्शन में जेनरेटर की अलग से व्यवस्था वर्त्तमान में नहीं है। मेडिकल कॉलेज का भवन पूर्ण होने के पश्चात् जेनरेटर के अधिष्ठापन कार्य कर दिया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार के द्वारा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्था को ठीक करने और मरीजों को अंधेरे में रखने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-05/2022 – 105(9) राँची, दिनांक– 10/3/22

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 951 दिनांक–04-03-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.22

सरकार के अवर सचिव

(453)

श्री दुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 11.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–स–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के निजी अस्पतालों में COVID महामारी काल से अंधाधुंध कमाई करने का एक सूत्री कार्यक्रम बना कर आम जनता को लूटने का कार्य कर रही है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में आम जनता को कोविड–19 के ईलाज हेतु विभागीय पत्रांक 352 (HSN) दिनांक 09.10.2020 के माध्यम से कोविड–19 ट्रीटमेंट पैकेज दर संबंधी आदेश निर्गत किया गया था। निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित निजी अस्पताल पर नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है। राज्य मुख्यालय को इससे संबंधित कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिनके पास आयुष्मान, मेडी कलेम, अन्य बीमा की सुविधा नहीं होने के कारण जब वे उपचार हेतु निजी अस्पताल यथा मेडिका गुरूनानक एवं अन्य अस्पतालों में जाते है तो उनसे किसी भी तरह से रकम ऐठने का काम कर रही है ;	इस प्रकार का कोई भी मामला प्रतिवेदित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि दुर्भाग्य से निजी अस्पताल में किसी मरीज की मौत हो जाती है और बिल का पैसा देने में असमर्थ है, तो मौत के बाद डेड बॉडी रोक ली जाती है, जिसके कारण कई बार हंगामा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ;	इस प्रकार का कोई भी मामला प्रतिवेदित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के निजी अस्पतालों में आम जनता के ईलाज हेतु दर का निर्धारण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	राज्य में Clinical Establishment Act. 2010 (Registation & Regulation) पूरे झारखण्ड में वर्ष 2013 से लागू है। विभागीय पत्रांक 57 (HSN), दिनांक 23.04.2018 एवं पत्रांक 408 (RCH), दिनांक 10.02.2021 द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जनों को इस अधिनियम के तहत् सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण एवं विभिन्न निविदा शुल्क के प्रदर्शन एवं अनुपालन हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–26/2022–154(15) राँची, दिनांक– 10-03-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–517 वि0स0, दिनांक 25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–36 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित बरकट्ठा मौजा स्थित कैशरहिन्द भूमि तथा मकान एवं परबत्ता मौजा स्थित रैयती भूमि तथा मकान का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण कार्य हेतु वर्ष 2020 में किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जमीन एवं मकान का अधिग्रहण किये जाने बाद भी प्रभावित जमीन मालिकों को अबतक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अधिग्रहित रैयती जमीन का जमीन एवं मकान तथा कैशरहिन्द व गैरमजरूआ जमीन पर बने मकान का मुआवजा देने का प्रावधान है;	वस्तुस्थिति है कि अधिग्रहित रैयती जमीन का भुगतान किया जा रहा है। कैशरहिन्द जमीन का अधियाचना अधियाची विभाग द्वारा अबतक प्राप्त नहीं है। गैरमजरूआ खास भूमि पर अवस्थित संरचना का भुगतान NHAI पॉलिसी सर्कुलर (नं०–7.151) दिनांक–10.04.2017 एवं NHAI Act के तहत् किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में खण्ड–1 में वर्णित अधिग्रहित भूमि एवं मकान का मुआवजा देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:–08 ए०/भू०अ०नि० वि०स० (तारां०) –36/2022.....183/रा०, राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–711/वि0स0, दिनांक–27.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/22
सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 145 (SOHAN)

455

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–45 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य का एक मात्र जिला साहेबगंज जहाँ राजमहल विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा में गंगा नदी पर बिहार एवं पश्चिम बंगाल आवागमन हेतु फेरी सेवा संचालित है;		स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रखंडों में वित्तीय वर्ष 2020–2021 एवं 2021–2022 तक फेरी सेवा संचालित की गई है, तो फेरी सेवा से कितने राजस्व की प्राप्तियाँ हुई है, बतलाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वित्तीय वर्ष 2020–2021 में राजस्व की प्राप्ति 33,23,700/–(तैंतीस लाख तेईस हजार सात सौ) रूपये मात्र। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में राजस्व की प्राप्ति 22,74,149/–(बाईस लाख चौहत्तर हजार एक सौ उनचास) रूपये मात्र।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–7/सैरात–वि.स.(तारां.)–02/2022.....813.....(7)/रा., राँची, दिनांक–.09-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–913/वि.स., दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/22

सरकार के अवर सचिव।

(457)

श्रीमती नीरा यादव, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–50 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती नीरा यादव, माननीया स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मरकच्चो प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–बेला एवं नावाडीह में राजस्व पंजी–2 गायब व नहीं मिल पाने के कारण स्थानीय को जमीन का रसीद, मालगुजारी रसीद व अन्यान्य जमीन से संबंधित कार्य नहीं हो पा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मरकच्चो अंचल के बेला ग्राम की पंजी गुम है, जिसके लिये F.I.R भी दर्ज किया गया है। मरकच्चो अंचल का नावाडीह ग्राम की पंजी–II गुम नहीं है। ग्राम बेला से प्राप्त आवेदनों की स्थानीय जाँच कर अभिलेखीय कार्रवाई करते हुए ऑनलाईन पंजी–II संधारण का कार्य किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित अंचल कार्यालय से पंजी–2 का संधारण नहीं होने के कारण जमीन के स्थानान्तरण में कठिनाईयाँ हो रही है, जिससे राजस्व की भी सरकार को हानि उठानी पड़ रही है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित अचंल में पंजी–2 न मिलने तथा राजस्व की क्षति होने की उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6 / वि0स0 (तारां0)–86 / 2022 822 / रा0, दिनांक– 10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–914 / वि0स0, दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2022
सरकार के उप सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

458

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा–33 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0 स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत कुल 12 अंचल कार्यालयों में से पाँच (1)–अंचल अधिकारी, झरिया, (2)–अंचल अधिकारी, टुण्डी, (3)–अंचल अधिकारी, पुटकी, (4)–अंचल अधिकारी, कलियासोल तथा (5)–अंचल अधिकारी, एगारकुण्ड को सरकारी कार्यों के निर्वहन/परिवहन हेतु विभाग द्वारा सरकारी गाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में मात्र अंचल अधिकारी, पुटकी हेतु वाहन क्रय का विधिवत प्रस्ताव प्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अंचल कार्यालयों में पदस्थापित अंचलाधिकारियों को वाहन उपलब्ध नहीं होने से प्रशासनिक कामकाज और अंचल क्षेत्र के जनमानस की सेवा व कार्यों के निष्पादन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। संबंधित अंचल कार्यालयों में पदस्थापित अंचलाधिकारियों के द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त वाहन का उपयोग किया जा रहा है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित अंचल कार्यालयों में पदस्थापित अंचल अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन व परिवहन हेतु सरकारी वाहन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वर्तमान में अंचल अधिकारी, पुटकी हेतु वाहन क्रय का विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त है, जिसकी स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में वित्त विभाग (प्रशासी पदवर्ग समिति) की स्वीकृति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–2/राज0स्था0 वि0स0 (प्रश्न)– 09/2022 819 /रा0 राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–557/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को एक–एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/22
सरकार के अवर सचिव

(459)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-11.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-स-42 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स, राँची के द्वारा विज्ञापन संख्या-889, दिनांक-22.02.2022 के माध्यम से रिम्स के विभागों में Tutor के रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया है ;	स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक संख्या 23(11) दिनांक-09.02.2022 के आलोक में पूर्व से निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 186(9) दिनांक-14.10.2015 का अनुपालन करते हुए विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है ;	विभागीय संकल्प संख्या 186(9) दिनांक-14.10.2015 द्वारा रिम्स, राँची के लिए शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति में विशेष परिस्थिति में "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के धारा-3 (इ) के तहत छूट प्रदान किया गया था।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो विभिन्न विभागों में ST के लिए कितने सीट आरक्षित है ? को स्पष्ट करते हुए क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग में आरक्षण नियम का पालन करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या 44(11) दिनांक-28.02.2022 के द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 186(9) दिनांक-14.10.2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उक्त के अनुपालन में पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन संख्या-889, दिनांक-22.02.2022 को रिम्स, राँची के ज्ञापांक-1129 दिनांक-04.03.2022 के द्वारा रद्द कर दिया गया है। नये सिरे से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए विज्ञापन के प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/वि0स0-05-05/2022 66(11) स्वा0/राँची/दिनांकः- 9/3/2022

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-896/वि0स0 दिनांक-03.03.2022 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.22

सरकार के अवर सचिव।

460

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–37 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के सरायकेला अंचल के उकरी पूल के समीप एक ईट भट्ठा (NBC) के मालिक द्वारा संजय नदी को अतिक्रमण किया गया है ;		अस्वीकारात्मक। संजय नदी का अतिक्रमण नहीं किया गया है। परन्तु ईट भट्ठा (NBC) के संचालक द्वारा अन्य सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि नदियों के संरक्षण हेतु नदियों के 100 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य कानूनन जुर्म है ;		सरकारी भूमि का अतिक्रमण किये जाने पर झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम (JPLE Act) के तहत् कार्रवाई की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि नदियों के अतिक्रमण रोकने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राँची हाई कोर्ट द्वारा न्यायादेश पारित है ;		इस संदर्भ में विभाग को सूचना उपलब्ध नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरवर्णित ईट भट्ठा मालिक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए संजय नदी को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4 / वि0स0 (तारां0)– 24 / 2022 786 / रा0 राँची, दिनांक– 08-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–712 / वि0स0, दिनांक–27.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022
सरकार के उप सचिव

(461)

419
09/03/22

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि–07 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि जिला–राँची, प्रखण्ड–सोनाहातु के जाडेया में कई वर्षों से आई०टी०आई० भवन बन कर तैयार है;	**उत्तर – स्वीकारात्मक है।**
2	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन में पठन–पाठन का कार्य अबतक प्रारंभ नहीं हुआ है;	**उत्तर – स्वीकारात्मक है।**
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आई०टी०आई० भवन, सोनाहातु, राँची में पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची जिलान्तर्गत प्रखण्ड सोनाहातु के जाडेया में निर्मित आई०टी०आई० को आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है तथा आगामी सत्र से प्रशिक्षण प्रारंभ की जायेगी।

09/03/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–19 / 2022श्र0नि0– 419 राँची, दिनांक– 09/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–719, दिनांक–27.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

(467)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–39 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्व0 अरविन्द कुमार अकेला, गढ़वा, सदर अस्पताल में लेखा प्रबंधक के पद पर पदस्थापित थे;	स्वीकारात्मक। स0 अरविन्द कुमार अकेला, गढ़वा सदर अस्पताल में एन0एच0एम0 अन्तर्गत संविदा आधारित पद जिला लेखा प्रबंधक पद पर कार्यरत थे।
2.	क्या यह बात सही है कि स्व0 अकेला, कोविड अस्पताल के क्वरंटाईन आईसोलेशन वार्ड की विधि व्यवस्था एवं सतत् निगरानी का निर्वहन करते हुए इनकी 27.05.2020 को कार्यस्थल गढ़वा में मृत्यु हो गई थी ;	अस्वीकारात्मक। स्व0 अकेला के मृत्यु कार्यालय में नहीं हुई थी अपितु इनकी मृत्यु दिनांक–27.05.2020 को गढ़वा स्थित इनके आवास पर हुई थी।
3.	क्या यह बात सही है कि कोविड गाईड लाईन के अनुसार स्व0 अरविन्द कुमार अकेला के परिवार को देय क्षतिपूर्ति राशि सहित किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं दी गई है ;	कोविड गाईड लाईन के अनुसार सामान्य मृत्यु (कोविड–19 से हुई मृत्यु को छोड़कर) में क्षतिपूर्ति या सरकारी सहायता का प्रावधान नहीं है। स्व0 अकेला के मृत्यु कोविड–19 के कारण नहीं हुई थी। अतः इनके आश्रितों को कोविड–19 गाइड लाईन के अनुसार कोई क्षतिपूर्ति अनुमान्य नहीं है। स्व0 अरविन्द कुमार अकेला के मृत्यु कोविड–19 पॉजिटिव होने कारण नहीं हुई थी। स्व0 अकेला के मृत्यु Cardiac Arrest से होने के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हेतु अधिकृत एजेंसी The New India Assurance Co. Ltd. के द्वारा उक्त योजना में लाभ हेतु प्राप्त आवेदन को अयोग्य (Ineligible) पाया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्व0 अकेला के परिवार के आश्रितों को सरकारी सहायता के साथ उनकी पत्नी को मानवीय आधार पर अनुकम्पा पर नियुक्त करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	स्व0 अकेला एन0एच0एम0 अन्तर्गत संविदा आधारित पद पर कार्यरत थे। अतएव नियमानुसार संविदा पर नियुक्त कर्मी की मृत्यु पश्चात् क्षतिपूर्ति या सरकारी पावना का भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–10167 (अनु0) दिनांक–01.12.2015 के अनुसार संविदा आधारित पदों पर नियुक्त कर्मी के आश्रित को अनुकम्पा पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा प्रश्न (तारांकित)–08/2022 38(08) राँची, दिनांक– 10-03-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–780 वि0 स0 दिनांक–01.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

10.3.2022

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

(463)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– रा0–35 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा तथा ईचाक प्रखण्ड में गत् दो वर्षो के दौरान दाखिल–खारिज एवं फटबंदी के काफी मामले लंबित है, जबकि सरकारी प्रावधानानुसार 30 दिनों के अंदर ऐसे मामलों को निष्पादित किया जाना है। ;	**अस्वीकारात्मक।** उपायुक्त कार्यालय, हजारीबाग का पत्रांक–1137, दिनांक–09.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अद्यतन् तिथि तक ईचाक अंचल अन्तर्गत 30 दिनों एवं 90 दिनों से अधिक दाखिल–खारिज के मामले शून्य है। बरकट्ठा अंचल अन्तर्गत 30 दिनों से अधिक 117 एवं 90 दिनों से 113 दाखिल–खारिज के मामले लंबित है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में खण्ड–1 में वर्णित विषयों के निष्पादित नहीं होने के कारण आमजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** प्रायः Jharbhoomi Portal में तकनीकि गड़बड़ी यथा Website Processiong Slow, Website not open आदि के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में पदस्थापित वर्तमान अंचलाधिकारियों की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण हजारों दाखिल–खारिज एवं फटबंदी के मामले लंबित है ;	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त प्रखण्डों में लंबित दाखिल–खारिज एवं फटबंदी के मामले को अविलंब निष्पादित करना चाहती है,, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1039, दिनांक–04.03.2021 द्वारा दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन नियत समय–सीमा पर नहीं किये जाने पर झारखण्ड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–07 एवं धारा–08 में निहित प्रावधानों के तहत दोषी पदाधिकारियों पर जुर्माना/अर्थदण्ड लगाने का निदेश निर्गत किया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0– (तारां0)–92/2022-829/रा0, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–शून्य/वि0स0, दिनांक–00.00.00 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022
सरकार के उप सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0 स.वि.स.		**मा0 मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के झरिया अंतर्गत निर्मित अंचल कार्यालय भवन अत्यंत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है।		आंशिक स्वीकारात्मक। भवन काफी पुराना है तथा कई हिस्से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय, झरिया का भवन जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त परिसर में पदस्थापित पदाधिकारी, कर्मी तथा आगंतुक अप्रिय घटना को लेकर आशांकित रहते हैं,		आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय, झरिया कार्यालय भवन का प्लास्टर गिरने का मामला भी आये दिन प्रकाश में आते रहता है,		आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झरिया अंचल परिसर में अंचल कार्यालय भवन के नव निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद के पत्रांक–431, दिनांक–28.02.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा झरिया अंचल कार्यालय के नये भवन निर्माण कार्य के लिए वास्तुविद नियुक्त किया गया है। D.P.R प्राप्त होते ही अंचल कार्यालय के नये भवन का निर्माण हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–10/विधान सभा (तारां.)–05/2022 818 /रा., राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 113/वि.स., दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

(465)

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 11.03.2022 को विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चौपारण प्रखण्ड 26 पंचायतों का एक प्रखण्ड है जबकि यहाँ सामुदायिक अस्पताल में एक भी महिला डॉक्टर की पदस्थापना नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। सिविल सर्जन, हजारीबाग के ज्ञापांक 394 दिनांक 02.03.2022 द्वारा महिला चिकित्सक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौपारण, हजारीबाग में प्रतिनियुक्त किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि चौपारण सामुदायिक अस्पताल मे महिला डॉक्टर नहीं रहने के कारण महिला मरीजों को काफी परेशानी होती है एवं कई बार उन्हें निजी क्लीनिकों में जाना पड़ता है जो कि उनके लिए काफी महंगा होता है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चौपारण सामुदायिक अस्पताल में महिला डॉक्टर की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–3–05/2022 296(3) राँची, दिनांकः 8/3/22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 521/वि0स0 दिनांक 25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/22

सरकार के उप सचिव

(4667)

श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 11.03.2022 को विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 45 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा केलियासोल व एगारकुण्ड प्रखण्ड के गम्भीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत ईलाज किया जाता है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा चयनित होने पर भी राशि के अभाव में समय पर ईलाज नहीं हो पाता है तथा मरीज ईलाज से बंचित रह जाते है।	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5,25,00,000/– रू० का आवंटन धनबाद जिला हेतु उपलब्ध कराया गया है। सिविल सर्जन, धनबाद के पत्रांक 562 दिनांक 08.03.2022 से प्राप्त सूचनानुसार 130 मरीज के उपचार हेतु 3,40,68,161/–रू० संबंधित अस्पताल को उपलब्ध कराया गया है। 63 प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित मरीज के उपचार हेतु 1,77,41,231/–रू० का विपत्र तैयार कर कोषागार में समर्पित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके पश्चात 6,90,608/–रू0 राशि शेष है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के ईलाज हेतु जिले में समुचित कोष की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 13/वि0स0–07–04/2022 48(13) राँची, दिनांक: 10/3/2022

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 949/वि0स0 दिनांक 04.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22

सरकार के अवर सचिव

(467)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–05 का उत्तर सामग्री।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि सचिव, राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्रांक–6/जाँच प्रतिवेदन–(राँची प्र0)–225/2020 2710/रा0, राँची, दिनांक–01.10.2020 के आलोक में गैर–मजरूआ एवं रैयती जमीन की फर्जी तरीके से जमाबन्दी एवं अवैध खरीद–बिक्री रद्द करने से सम्बंधित वांछित जाँच प्रतिवेदन दिनांक–31.10.2020 तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल आयुक्त के पत्रांक–1407, दिनांक–17 अक्टूबर–2020 के द्वारा उपायुक्त, राँची को पत्र प्रेषित कर राँची जिला के गैर–मजरूआ एवं रैयती जमीन के 15 मामले फर्जी तरीके से जमाबन्दी एवं अवैध खरीद–बिक्री को रद्द करने से सम्बंधित था;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकारी निर्देश के उपरांत आज भी उक्त मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–3790/रा0, दिनांक–07.12.2020 द्वारा विषयगत मामले की जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गैर–मजरूआ एवं रैयती जमीन की जमाबन्दी एवं अवैध खरीद–बिक्री रद्द करने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–9/आरोप–राँची प्र0(तारांकित)–23/2022.....785.../रा0, दिनांक– 08-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची को उनके पत्रांक–532/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

D:\Rajesh Oraon\Rajesh\ALL SEC\Sec9\Bidhan Sabha Question-2022.Docx

(468)

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय सदस्य, झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक– 11.03.2022 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– विधि–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही अनुमण्डल की स्थापना वर्ष 1994 में बिहार के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के द्वारा किया गया था;	:–	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि अनुमण्डल के स्थापना के 28 सालों के बाद भी बरही में मुख्य दण्डाधिकारी पद की स्थापना नहीं किया गया है, जबकि उपकारा की स्थापना एवं उद्घाटन भी कर दिया गया है;	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विधि विभागीय अधिसूचना सं०–2156, दिनांक–20.09.2017 द्वारा हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का 01 (एक) एवं न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) के अतिरिक्त शक्तियों के साथ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का 01 (एक) न्यायालय तथा विधि विभागीय अधिसूचना सं०–904, दिनांक–12.06.2020 द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी का 02 (दो) न्यायालय स्थापित किया गया है, जिन्हें बरही अनुमंडल में आधारभूत संरचना उपलब्ध होने तक हजारीबाग में बैठने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। हाँ, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०–4815, दिनांक–14.12.2020 के द्वारा कारा अधिनियम, 1894 एवं बंदी अधिनियम, 1900 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा हजारीबाग जिलांतर्गत बरही अनुमण्डल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपकारा, बरही हेतु नवनिर्मित भवन को बंदियों के संसीमन हेतु दिनांक–29.12.2020 के प्रभाव से कारागार (Prison) अधिसूचित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक–29.12.2020 को ऑनलाइन उद्घाटन भी किया जा चुका है, जो वर्तमान में संचालित है। जहाँ तक इन न्यायालयों का संचालन प्रारंभ करने का प्रश्न है, तो इस हेतु वहाँ इसके सुचारू संचालन हेतु कतिपय न्यायालयी भवन/आधारभूत अवसंरचनाओं के साथ पदाधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति की आवश्यकता है। न्यायालयी आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु विधि विभागीय पत्रांक–2267, दिनांक–11.10.2017, पत्रांक–2470, दिनांक–10.11.2017, पत्रांक–39, दिनांक–08.01.2018 एवं पत्रांक–1115, दिनांक–17.08.2021 के द्वारा भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। न्यायिक पदाधिकारियों के पदसृजन के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से विधि विभागीय पत्रांक–1258, दिनांक–06.09.2021 एवं पत्रांक–1555, दिनांक–21.10.2021 द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन हेतु अनुरोध भी किया जा चुका है। जिसके आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–2376/रा०, दिनांक–30.11.2021 के द्वारा बरही अंचल के चकुरा ग्राम, थाना सं०–67, खाता सं०–20, प्लॉट सं०–46 गैरमजरुआ खास परती कदीम कुल रकबा 4.00 एकड़ भूमि को चिन्हित किये जाने संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

(कृ०पृ०उ०)

3.	क्या यह बात सही है कि मुख्य दण्डाधिकारी पद की स्थापना नहीं होने के कारण बरही अनुमण्डल के लोगों का हजारीबाग़ न्यायालय जाना पड़ता है, जिससे उनका काफी समय एवं पैसा खर्च होता है;		स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या दण्डाधिकारी पद की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	कंडिका 2 में प्रदत्त उत्तर से वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है। भवन निर्माण विभाग से न्यायालयी आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने एवं न्यायिक पदाधिकारियों/अधीनस्थ कर्मचारियों के पदसृजन/नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उक्त न्यायालयों के संचालन का कार्य माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश पर प्रारंभ कर दिया जाएगा।

ह०/–

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक– ए0/विधि– वि0स0प्र0–11/2022– 468 /जे0, राँची, दिनांक– 09 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–498, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

09/03/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

(469)

श्री रामदास सोरेन, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला अनुमण्डल अस्पताल में ब्लड संग्रह इकाई की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के मरीजों को बहुत सुलभता से ब्लड की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी ;	स्वीकारात्मक। यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला अनुमण्डल अस्पताल में पूर्व में ब्लड संग्रह इकाई की स्थापना की गई थी, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के मरीजों को बहुत सुलभता से ब्लड की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अस्पताल नये भवन में शिफ्ट होने के कारण उक्त इकाई का पुनः नवीकरण नहीं हुई है, जिससे उक्त अस्पताल में ब्लड संग्रह का कार्य बाधित है। साथ ही क्षेत्र के मरीजों को इन दिनों ब्लड की जरूरत पड़ने पर काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक। अनुमण्डल अस्पताल, घाटशिला को नये भवन में शिफ्ट करने के कारण ब्लड संग्रह केन्द्र का अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हो पाया है। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। क्षेत्र के मरीजों को आवश्यकतानुसार जमशेदपुर ब्लड बैंक, एम0जी0एम0 ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित अस्पताल में उक्त इकाई का पुनः नवीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	ब्लड संग्रह केन्द्र के नवीकरण (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0 (ता0प्र0)–09–05/2022 34(4) राँची, दिनांक–08.03.2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–716 वि0 स0, राँची, दिनांक–27.02.2022 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

08/03/22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0 (ता0प्र0)–09–05/2022 34(4) राँची, दिनांक–08.03.2022

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/22

सरकार के अवर सचिव

15

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 11.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 41 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि महागमा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत परसा एवं सिंघाड़ी पंचायत में स्वास्थ्य विभाग का भवन बन कर विगत पाँच वर्ष से तैयार है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि जिन कार्यो के लिए भवन का निर्माण कराया गया था उसका उपयोग उन कार्यो के लिए नहीं किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाड़ी में स्थानीय व्यवस्था के तहत चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (01) में वर्णित भवनों का उपयोग पारा मेडिकल प्रशिक्षण कार्य हेतु करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाडी में स्थानीय व्यवस्था के तहत चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जा रही है। इन दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का पदस्थापन कर पूर्ण रूपेण चिकित्सा सुविधा बहाल कर दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0 (ता0)– 14/2022– 239(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 10.03.2022

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–895/वि0स0, दिनांक–03.03.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.22
अवर सचिव।

(472)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–30 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के नगड़ी अंचल अंतर्गत सपारोम मौजा के खाता नंबर–150, प्लॉट नंबर–686, रकबा–20 डिसमिल, 1932 के खतियान के अनुसार भूस्वामी श्री हरि कुम्हार तथा श्री मंगल कुम्हार है ;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1960 में बंधन कुम्हार, पिता श्री हरि कुम्हार के द्वारा उक्त जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री श्री धनंजय सिंह देव के नाम से कर दी गई थी ;		उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दस्तावेज सं0– 2552, जिल्द सं0–19, पृ0 सं0–248–250 वर्ष–1960 निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है, जिसमें विक्रेता बंधना कुम्हार वल्द मंगल कुम्हार वो हरि कुम्हार वल्द हौड़ा कुम्हार द्वारा क्रेता धनंजय कुमार सिंह देव, पिता गोपाल लाल सिंह देव के पक्ष में निबंधित है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित श्री बंधन कुम्हार नामक व्यक्ति श्री हरि कुम्हार के पुत्र नहीं है ना ही कोई रिश्तेदार है, जो वंशावली से स्पष्ट है ;		उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दस्तावेज सं0–2552, वर्ष 1960 के अनुसार बंधना कुम्हार वल्द मंगल कुम्हार के पुत्र हैं।
4	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 1984 में श्री धनंजय सिंह देव के द्वारा श्री शंभू नाथ देवघरिया श्री विपिन शर्मा तथा श्री शिशिर कुमार को उक्त जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई है;		उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दस्तावेज सं0–2692, जिल्द सं0–73, पृ0 सं0–401–403, वर्ष 1984 बावत वर्ष 1986 जिसमें बिक्रेता धनंजय कुमार सिंह देव, पिता गोपाल लाल सिंह देव द्वारा क्रेता श्रीमती लक्ष्मीना कश्यप, पत्नी श्री राजाराम कश्यप के पक्ष में निबंधित है। दस्तावेज सं0–3908, जिल्द सं0–106, पृष्ठ सं0–481 से 484, वर्ष 1985 बावत वर्ष 1987 जिसमें बिक्रेता श्रीमती लक्ष्मीना कश्यप, पत्नी श्री राजाराम कश्यप द्वारा क्रेता दुलाल कुमार देवघरिया वल्द दुर्गा प्रसाद देवघरिया के पक्ष में निबंधित है। दस्तावेज सं0–3909, जिल्द सं0–106, पृष्ठ सं0–485 से 488, वर्ष 1985 बावत वर्ष 1987 जिसमें बिक्रेता श्रीमती लक्ष्मीना कश्यप, पत्नी श्री राजाराम कश्यप द्वारा क्रेता शिशिर कुमार देवघरिया वल्द दिगम्बर नाथ देवघरिया के पक्ष में निबंधित है।

कृ.पृ.उ.

5	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–4 में वर्णित फर्जी रजिस्ट्री को आधार बनाकर अंचलाधिकारी, नगड़ी के द्वारा वर्ष 2020 में म्यूटेशन कर दिया गया है;		अस्वीकारात्मक।
6.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त फर्जीवाड़ा के दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त जमीन के वास्तविक भूस्वामी को अपना हक दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–6 / वि0स0 (तारां0)– 79 / 2022 817 / रा0 राँची, दिनांक– 10-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–555 / वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022

सरकार के अवर सचिव

(473)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड,राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण व निर्माण के समय पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत बहड़ागोड़ा प्रखण्ड के दारिशोल में भू–अर्जन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया था जिसकी खाता संख्या–26 एवं प्लॉट संख्या–68 है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण के बदले रैयत अवधेश कुमार सिंह एवं डैजी देवी जिनका क्रमशः 8डी0 एवं 9डी0 जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिन्हें विभागीय कर्मी की लापरवाही पूर्वक त्रुटि के कारण मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अवधेश कुमार सिंह एवं डेजी देवी का क्रमशः 0.06 ए0 एवं 0.0075 ए0 जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि हेतु पंचाट घोषित होने के पश्चात् आवेदन पत्र/दावा एवं वांछित कागजात जमा नहीं करने के कारण भुगतान लंबित है। मुआवजा राशि एल0ए0 कोर्ट, चाईबासा में जमा है। माननीय एल0 ए0 कोर्ट, चाईबासा से राशि वापसी हेतु अनुरोध किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभागीय गड़बड़ी को सुधार करते हुए खण्ड–2 में उद्धत रैयतों को उनका क दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही, तो क्यों ?	एल0ए0 कोर्ट मे जमा गैर विवादित राशि वापस करने हेतु विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1649/जे0, दिनांक–20.08.2019 द्वारा दिशा निर्देश की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक–08/नि0रा0, दिनांक–10.01.2020 द्वारा विधि विभाग, झारखण्ड को वांछित सूचना उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय एल0ए0 कोर्ट से राशि प्राप्त होते ही मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02बी0/भू0अ0नि0 (वि0स0) तारा0–15/2022 -186/रा॰ राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–111, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022

सरकार के उप सचिव।

F:\Naina\sec 8B\vidhan sabha *(Vikrant)*

(474)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–47 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में खासमहल की जमीन का गलत तरीके से खरीद–बिक्री हो रही है;		अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि भू–माफियाओं की मिलीभगत से खासमहल जमीन की रजिस्ट्री भी की जा रही है;		अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खासमहल जमीन की गलत तरीके से हुई खरीद बिक्री की जाँच करवा कर इसमें शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक ?		मामला सरकार के संज्ञान में आने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–7 / खा.म.–वि.स.(तारां.)–07 / 2022....826.....(7) / रा., राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–910 / वि.स., दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 विभागीय (मुख्य) / प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/22

सरकार के अवर सचिव।

श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–40 का प्रश्नोत्तर।

975

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स०	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में BCCL, ECL, CIL एवं अन्य कम्पनियों द्वारा खनन् कार्य हेतु हजारों लोगों को विस्थापित कर इनकी भूमि पर से इनका सभी तरह का हक छीन कर इन्हें दर–दर भटकने पर मजबूर कर दिया है;	अस्वीकारात्मक। BCCL द्वारा खनन कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण कर कोल इंडिया के पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति के तहत् मुआवाजा, नियोजन एवं अन्य लाभ प्रदान किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि विस्थापित होने के बाद इन्हें कोई प्रमाण–पत्र नहीं मिलने के कारण इन्हें अपनी जरूरत के लिए आवासीय/जाति या किसी तरह के प्रमाण–पत्र मिलना असंभव हो गया है;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि विस्थापितों को नियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद भी वर्षो से नियोजन नहीं मिल पाया है और विस्थापित लगातार इसके लिए संघर्षरत है;	वस्तुस्थिति है कि अधिग्रहित भूमि पर कोल इंडिया के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत् नियोजन की कार्रवाई BCCL द्वारा की जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विस्थापित हुए लोगों को नियोजन के साथ–साथ भूमि अधिग्रहण प्रमाण–पत्र निर्गत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–08 ए०/भू०अ०नि० वि०स० (तारां०) –37/2022...184...../ राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–715/वि0स0, दिनांक–27.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22

सरकार के अवर सचिव।

(476)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–49 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अंचल–नामकुम के तेतरी मौजा के खाता नम्बर–एक, प्लॉट नम्बर–348 के कुल रकबा–2 एकड़ 96 डिसमिल जमीन खतियानधारी स्व0 सुरेश चन्द्र मितर के नाम से दर्ज है, जिसे तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा षडयंत्र के तहत गोवर्धन सिंह, पिता–रूपु सिंह के नाम से जमाबंदी दर्ज कर दिया गया है ;		उपायुक्त, राँची से प्राप्त पत्रांक–141/रा., दिनांक–09.03.2022 के अनुसार तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम के ज्ञापांक–1329(ii) दिनांक–10.10.2013 द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में एवं विविध वाद सं.–07R/2013-14 में पारित आदेश के आलोक में पंजी–II के भाग–7 पेज–72 में जमाबंदी दर्ज किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खतियानधारी वंशज प्रदीप कुमार मित्र ने अंचलाधिकारी, नामकुम से सूचना अधिकार के तहत 2013 ई0 में जानकारी माँगी थी, जो आज तक अप्राप्त है;		वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मूल खतियानधारी को जमीन वापस दिलाने तथा सूचना अधिकार की अवहेलना करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		प्रश्नगत मामले में विभागीय पत्रांक–825/रा., दिनांक–10.03.2022 द्वारा उपायुक्त, राँची से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–06/वि.स.(तारां.)–84/2022..829.....(6)/रा., राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–912/वि.स., दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022
सरकार के उप सचिव।

(477)

श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–34 उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत पोटका प्रखण्ड के जामदा पंचायत, ग्राम–पोड़ाभालकी में होमियोपैथिक स्वास्थ्य भवन जर्जर एवं चिकित्सक तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पोटका विधान सभा क्षेत्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ मूलतः आदिवासी एवं आदिम जनजातियों की संख्या अधिक है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित जामदा पंचायत के ग्राम पोड़ाभालकी के होमियापैथिक स्वास्थ्य भवन का निर्माण कराने एवं चिकित्सकों की पदस्थापना के साथ–साथ सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। राजकीय होमियोपैथिक औषधालय, ग्राम– पोड़ा भालकी में दान में मिले जमीन पर दो खपरैल सरकारी भवन में संचालित है। ग्राम–पोड़ाभालकी में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण प्रस्तावित है जिसमें कालक्रम में उक्त औषधालय को स्थानांतरित कर दिया जायेगा। होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों के नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसके आलोक में होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखतें हुए प्रसंगाधीन औषधालय के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–20 / आयुष वि0स0–15 / 2022 67 (20) स्वा / राँची, दिनांक 10.03.2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक– 566 / वि0स0 दिनांक–25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

10.03.2022

सरकार के अवर सचिव।

478

11.03.22

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न सं0-स-09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि, गोड्डा जिला अंतर्गत बसंतराय प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से बना हुआ है और आज तक इसे उत्क्रमित नहीं किया गया है जबकि बसंतराय को प्रखण्ड का दर्जा दिया जा चुका है ;	अस्वीकारात्मक। गोड्डा जिला अन्तर्गत बसंतराय प्रखण्ड का उदघाटन दिनांक 23.09.2009 को हुआ है तथा वहाँ पूर्व से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसंतराय संचालित है, जो वर्त्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित हो चुका है।
2. क्या यह बात सही है, कि प्रखण्ड का दर्जा प्राप्त होने और घनी आबादी होने के कारण संस्थान में रेफरल अस्पताल की आवश्यकता है ;	स्वीकारात्मक। बसंतराय प्रखण्ड की आबादी 93,448 है। रेफरल अस्पताल के निर्माण हेतु आई0पी0एच0 नार्म्स के अनुसार कुल आबादी 80,000 (पहाड़ी क्षेत्र) से 1,20,000 (सामान्य क्षेत्र) के बीच होनी चाहिए तथा उसके अन्दर सी0एच0सी एवं पी0एच0सी0 होनी चाहिए।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या बसंतराय प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित कर रेफरल अस्पताल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-15/वि0स0-07-17/2022- 131 (15) स्वा0/राँची/दिनांकः- 03-03-2022

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-527/वि0स0 दिनांक-25.02.2022 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2022

सरकार के संयुक्त सचिव।